## निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /SE-126/2017–18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभारी आबकारी अधिकारी रेडिको खेतान लि. बाजपुर (काशीपुर)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

**प्रभारी आबकारी अधिकारी रेडिको खेतान लि. बाजपुर (काशीपुर)** के माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस.एस.दरियाल सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अशोक कुमार मीणा ले.प द्वारा दिनांक 10.01.2018 से 15.01.2018 तक श्री पी.के. गुप्ता लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

**भाग-I**

1. **(1) परिचयात्मकः (इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा )**इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रवि भूषण ले.प. एवं श्री एन.के.बंसल सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 14.03.2017 से 17.03.2017 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2012 से 03/2016 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2012 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे माह 04/2016 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** –बाजपुर शुगर मिल, बाजपुर
3. (ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत वर्षो मे कार्यालय (आबकारी विभाग) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

| वर्ष | अर्जित राजस्व ¼: **yk[k esa½** |
|---|---|
| 2014-15 | 3603.84 |
| 2015-16 | 6615.89 |
| 2016-17 | 5330.50 |

(ii)(c) बजट का विवरण:-विगत दो वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(` लाख में)

| वर्ष | प्रारम्भिक अवशेष | | स्थापना | | गैर स्थापना | | आधिक्य (+)` | बचत (-)` |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्थापना ` | गैर स्थापना ` | आवंटन ` | व्यय ` | आवंटन ` | व्यय ` | | |
| 2014-15 | | | | | | | | |
| 2015-16 | | | लागू नहीं | | | | | |
| 2016-17 | | | | | | | | |

(I) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

| वर्ष | योजना का नाम | प्रारम्भिक अवशेष ` | प्राप्त ` | व्यय अधिक्य (+) ` | बचत (-) ` |
|---|---|---|---|---|---|
| एसी कोई योजना नहीं है। | | | | | |

**(iii) इकाई को बजट आवंटन** शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई --सी---श्रेणी की है।

**(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः**

आबकारी सचिव> आबकारी आयुक्त >अपर आबकारी आयुक्त> संयुक्त आबकारी आयुक्त > उप आबकारी आयुक्त > सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी > आबकारी अधिकारी निरीक्षक

**(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **प्रभारी आबकारी अधिकारी रेडिको खेतान लि. बाजपुर (काशीपुर)** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभारी आबकारी अधिकारी रेडिको खेतान लि. बाजपुर (काशीपुर)** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन** :-

**राजस्वः** माह 03/2017 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

**व्यय**: माह ............................... को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- लागू नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

**STAN-1**

**प्रस्तर -1 अनाधिकृत रूप से शराब का उत्पादन किया जाना तथा विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कार्यावाही न किया जाना।**

उत्तर प्रदेश राज्य आबकारी राजस्व लेखा परीक्षा संहिता (द्वितीय संस्करण) के पेरा 6.20 के परंतुक 9 के अनुसार अनुज्ञापी धारक द्वारा वर्ष के लिए अनुज्ञापी शुल्क (Licence Fee) अग्रिम में भुगतान करना होगा। वर्ष 2017-18 हेतु उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग संख्या 260/XXIII/2017/04(01)2017 देहारादून दिनांक 19 मई, 2017 के अनुबंध 35 के अनुसार एफ़.एल.एम.-3 की लाइसेन्स शुल्क उत्पादन मात्रा के अनुसार एक करोढ़ से अधिक परंतु एक करोढ़ पच्चीस लाख बोतल (750 एम.एल.) तक उत्पादन हेतु लाइसेन्स शुल्क ☐ 01 करोड़ 40 लाख निर्धारित किया गया था।

कार्यालय प्रभारी अधिकारी रेडिको खेतान लिमिटेड, बाजपुर की लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2016-17 हेतु अनुज्ञा प्रमाण पत्र (Licence certificate) दिनांक 06/01/2017 को अपर आबकारी आयुक्त, उत्तराखंड के द्वारा नवीनीकृत किया गया था। इकाई का वर्ष 2017-18 हेतु अनुज्ञा प्रमाण पत्र आबकारी विभाग/ उत्तराखण्ड शासन के द्वारा अभी तक (15/01/2018) तक लाइसेन्स नवीनीकृत नहीं किया गया है, जबकि वर्षांत में दो माह ही शेष है। इस प्रकार इकाई अनधिकृत रूप से शराब का उत्पादन कर बिक्री कर रही है। रेडिको खेतान द्वारा लाइसेन्स शुल्क ☐ 01 करोड़ 40 लाख के सापेक्ष मात्र ☐ 1.15 करोड़ ही जमा (दिनांक 27 फरवरी 2017) किया गया था। लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर (12/01/2018) रेडिको खेतान द्वारा शेष ☐ 25.00 लाख तथा दंडात्मक ब्याज रु. 397850.00 जमा किया गया।

अतः अनुज्ञा प्रमाण पत्र (License certificate) अग्रिम में नवीनीकृत कराये बिना इकाई द्वारा शराब का उत्पादन का कार्य चलता रहा तथा इस सम्बन्ध में अग्रिम में कार्यवाही क्यों नहीं किया गया।

उक्त आपत्तियों को इंगित करने पर लेखा परीक्षा इकाई ने उत्तर में उल्लिखित किया कि ***"लाइसेन्स शुल्क वर्ष 2017-18 में □ 25.00 लाख आज दिनांक 15/01/2018 को मय दंडात्मक ब्याज सहित जमा किया गया है"।*** इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि लाइसेंस की नवीनीकृत की प्रक्रिया अग्रिम में कराया जाना चाहिये था तथा इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा आवश्यक कार्यावाही लापरवाही।

उक्त राजस्व क्षति रु. 01.15 करोड़ व अनाधिकृत रूप से शराब का उत्पादन किया जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संगयन में लाया जाता है ।

**भाग-III**

**राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :**

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या | भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या | STAN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | लागू नहीं | | |
| | | | |

**विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या :** लागू नहीं

**विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : शून्य**

**व्यय से संबन्धित: - लागू नहीं**

## भाग-IV

### इकाई के सर्वोत्तम कार्य

**(1)** राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य –टिप्पणी शून्य**
**(2)** व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य – टिप्पणी शून्य**

## भाग-V

### आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **प्रभारी आबकारी अधिकारी रेडिको खेतान लि. बाजपुर (काशीपुर)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

शून्य टिप्पणी

2. **सतत् अनियमितताएः**

   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

| क्रम सं0 | नाम | पदनाम |
|---|---|---|
| (i) | श्री रविन्द्र कुमार जोशी | उप आबकारी अधिकारी |

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्रभारी आबकारी अधिकारी रेडिको खेतान लि. बाजपुर (काशीपुर)** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

**लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र**